

Fax No.: 0135-2431227

Website : www.nagarnigamrishikesh.com

E-mail : npprshikesh@gmail.com

फार्म का मूल्य 10/-

नगर निगम ऋषिकेश



जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)
सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

पत्रावली सं०

सम्पत्ति स्वामी / अध्यासी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

सम्पत्ति संख्या.....

मौहल्ले का नाम.....

वार्ड संख्या व नाम.....

फार्म प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य है।

15 दिन के पश्चात् 500/- प्रतिदिन जुर्माना देय होगा।

प्रपत्र - 'क'
सम्पत्ति कर स्व-निर्धारण प्रपत्र
(अधिनियम की धारा 207 क)

फार्म का क्रमांक

क.

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
 (चार) भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....
 (पांच) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
 (छः) भवन स्वामी का ई-मेल पता/मोबाइल नं०.....

टिप्पणी :- जिन्हें नगर निगम द्वारा कोई भवन नम्बर आवंटित नहीं है "नया मकान" दर्ज करें तथा सम्बन्धित अभिलेख व चौहद्दी विवरण संलग्न करें.....

ख.

निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा

- (एक) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
 (दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
 (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिका और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग.

भवन का कारपेट एरिया :- (ख) का विवरण क्षेत्रफल आकलन हेतु

- (एक) कमरों एवं आच्छादित बरामदों की आन्तरिक पूर्ण माप.....
 (दो) समस्त बालकनी, कोरीडोर, रसोई, भण्डारगृह का 1/2.....
 (तीन) गैराज का आन्तरिक आयाम का 1/4 भाग कुल कारपेट एरिया (एक) + दो का 1/2 + तीन का 1/4 =

या

कुल आच्छादित क्षेत्रफल का 80%.....

घ.

- (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....
 (दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

ड.

(क) भवन अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-

- (एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
 (दो) अन्य पक्का भवन
 (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी हो उसमें सही का निशान लगावें।

च. भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित किराये अथवा आंशिक रूप से स्वअध्यासित एवं आंशिक रूप से किरायेदारी पर जो भी है कृपया उसका स्पष्ट उल्लेख करें।.....

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष :-

ज. (एक) कलैक्टर/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रुपये.....
.....प्रति वर्ग फुट।

(दो) कलैक्टर/मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर उस पर कोई भवन निर्मित न हो, रुपये.....प्रति वर्ग फुट।

झ. (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times$ मुख्य नगर अधिकारी/कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का कारपेट क्षेत्र $12 \times$ (ज) (एक) \times (ग)

या

$12 \times$ मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का आच्छादित क्षेत्र $\times 80$ प्रतिशत

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = $12 \times$ मुख्य नगर अधिकारी/कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल = $12 \times$ ज (दो) \times घ (दो)

ट. (एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 174 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात्.....

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 174(2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के पश्चात्.....

(तीन) भवन आंशिक स्वअध्यासित एवं आंशिक किरायेदारी पर होने की दशा में भवन के दोनों भागों का एक व दो पृथक से उल्लेख कर कर-निर्धारण की गणना की जाये।

(अ)

(ब)

- ठ. (एक) भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य x सामान्य कर दर / 100.....
 (दो) भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो = झ (दो) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य x सामान्य दर / 100.....

ड. मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक.....

ढ. जमा किये गये कर का विवरण :-

क्रम सं०	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
	भवन कर				

ण. (एक) नगर निगम बैंक एकाउन्ट संख्या :-

Nainital Bank A/c No. 0992000000000086 IFSCCode : NTBLORIS099

Union Bank Of India A/c No. 306902010005750 IFSCCode : UBIN0530697

(दो) बैंक शाखा का नाम

(तीन) भवन स्वामी का बैंक एकाउन्ट संख्या.....

(चार) बैंक शाखा का नाम जिसमें भवन स्वामी का एकाउन्ट है.....

सम्पूर्ण विवरण हेतु नगर निगम की वेबसाइट देखें।

www.nagarnigamrishikesh.org E-mail : npprishikesh@gmail.com

नया मकान/भूखण्ड होने पर संलग्न करें :-

1. खतौनी, विक्रय-पत्र, दान-पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान आदि.....

2. एच.आर.डी.ए. द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छाया प्रति.....

टिप्पणी :- भरे गये प्रपत्रों की जांच में यदि विवरण सही नहीं पाया गया तो देयकर के अन्तर का चार गुना शास्ति के रूप में आरोपित किया जायेगा।

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....

के मौहल्ला.....में स्थित भवन संख्या..... का
स्वामी / अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

हस्ताक्षर

स्थायी पता

दिनांक.....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता/पति का नाम

पूरा पता

मोबाइल नं०.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
- (चार) भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....
- (पांच) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम पदनाम

कर अधीक्षक

सहायक नगर अधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी

प्रपत्र - 'ख'

भवन के कारपेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

क.

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
(चार) भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....
(पांच) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

टिप्पणी :- जिन्हें नगर निगम द्वारा कोई भवन नम्बर आवंटित नहीं है "नया मकान" दर्ज करें तथा सम्बन्धित अभिलेख व चौहद्दी विवरण संलग्न करें.....

ख. निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा

- (एक) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....
(तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिका और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

ग. भवन का कारपेट एरिया :- ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

- घ. (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....
(दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....
ङ. (क) भवन अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-

- (एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
(दो) अन्य पक्का भवन
(तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं

(ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :- कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी हो उसमें सही का निशान लगावें।

च. भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित किराये अथवा आंशिक रूप से स्वअध्यासित एवं आंशिक रूप से किरायेदारी पर जो भी है कृपया उसका स्पष्ट उल्लेख करें।.....

टिप्पणी : यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो "खाली" उल्लिखित किया जायेगा।

छ. भवन के निर्माण का वर्ष :-

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....
के मौहल्ला.....में स्थित भवन संख्या.....का
स्वामी / अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

हस्ताक्षर

स्थायी पता

दिनांक.....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता/पति का नाम

पूरा पता

.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....

(चार) भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....

(पांच) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम पदनाम

कर अधीक्षक

सहायक नगर अधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी

नगर निगम ऋषिकेश

सम्पत्ति का ब्यौरा (कमरे, रसोई आदि)

1. स्वयं के उपयोग लाये जाने वाली सम्पत्ति तल अनुसार
(क) बेसमेन्ट..... (ख) भूतल.....
(ग) प्रथम तल..... (घ) द्वितीय तल.....
आदि
 2. किराये पर दी गयी सम्पत्ति का विवरण व किरायेदार का नाम तथा किराये की धनराशि तल अनुसार
(क) बेसमेन्ट..... (ख) भूतल.....
(ग) प्रथम तल..... (घ) द्वितीय तल.....
आदि
 3. आवासीय भवन में स्थित व्यवसायिक उपयोग में लाए जाने वाली सम्पत्ति का विवरण तल अनुसार
(क) बेसमेन्ट..... (ख) भूतल.....
(ग) प्रथम तल..... (घ) द्वितीय तल.....
आदि
- नोट - क्रम सं० 3 पर दिये गये विवरण का मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 3. भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
 4. भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....
 5. स्वामी.....
 6. स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
- भवन संख्या.....का सरल कर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी/अध्यासी.....
के द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट.....प्रस्तुत किया गया, जो वार्ड सं०.....
मौहल्ला.....में स्थित है के सरल कर प्राप्ति रजिस्टर में दिनांक.....पर दर्ज है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 3. भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
 4. भवन/भूखण्ड के मौहल्ले का नाम.....
 5. स्वामी.....
 6. स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
- भवन संख्या.....का सरल कर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी/अध्यासी.....
के द्वारा भवन का क्षेत्रफल/कारपेट.....प्रस्तुत किया गया, जो वार्ड सं०.....
मौहल्ला.....में स्थित है के सरल कर प्राप्ति रजिस्टर में दिनांक.....पर दर्ज है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कैसे करे स्वकर निर्धारण

1. भवन का आन्तरिक माप (कारपेट एरिया) जिसकी गणना की जायेगी।
 - (क) कुल कमरों के कारपेट एरिया की सम्पूर्ण माप।
 - (ख) किचन, बालकनी, कारीडोर के कारपेट एरिया का 1/2 माप (आधा)।
 - (ग) गैराज के कुल कारपेट एरिया का 1/4 माप (एक चौथाई माप)।
 - (घ) कवर्ड बरामदा के कारपेट एरिया का पूर्ण माप।

या

कुल कवर्ड एरिया का 80%

2. शौचालय, स्नानगार, सीढ़ी से आच्छादित क्षेत्र, पोर्टिको का एरिया नहीं जुड़ेगा।
3. कर की गणना :-
कुल कारपेट एरिया x मासिक कारपेट रेट x 12 माह = वार्षिक मूल्यांकन
4. छूट की गणना :- उपरोक्तानुसार प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन (स्वयं के अध्यासन में) पर निम्नानुसार छूट देय होगी।

या

12 x मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर x भवन का आच्छादित क्षेत्र x 80 प्रतिशत

भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 x मुख्य नगर अधिकारी/कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर x भूमि का क्षेत्रफल = 12 x ज(दो) x घ(दो)

- (क) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष की अवधि तक 25 प्रतिशत।
 - (ख) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष से 20 वर्ष तक 32.5 प्रतिशत।
 - (ग) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 प्रतिशत।
5. किराये पर उठाये गये आवासीय भवन के मामले में अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से :-
 - (क) यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
 - (ख) यदि भवन 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत समझा जायेगा।
 - (ग) यदि भवन 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।



स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

(एक कदम स्वच्छता की ओर)



“स्वच्छ ऋषिकेश-स्वच्छ उत्तराखण्ड”

“हमारा संकल्प : स्वच्छ, स्वस्थ व सुन्दर उत्तराखण्ड”

“स्वच्छ सुन्दर ऋषिकेश के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें।”



‘कूड़े को कूड़ेदान में डालों’

स्वच्छ व स्वस्थ ऋषिकेश बना लो।”

“स्वच्छ भारत मिशन चलाना है

ऋषिकेश को निर्मल बनाना है”

“घर-घर में शौचालय बनायें

बहू-बेटी बाहर ना जायें”

“सभी रोगों की एक दवाई

घर-मौहल्लों में रखों साफ-सफाई”

“स्वच्छता का दीप जलाएंगें

चारों ओर उजियारा फैलायेंगें”

“हम सबने अब ये ठाना है,

ऋषिकेश को स्वच्छ बनाना है”